

HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON TUESDAY, THE 24TH AUGUST, 2021 AT 10.00 A.M.

I. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. MOTION UNDER RULE 15.

A MINISTER to move that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

III. MOTION UNDER RULE 16.

A MINISTER to move that the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

IV. ZERO HOUR

V. CALLING ATTENTION NOTICE.

- (i) Calling Attention Notice No. 5 [Calling Attention Notice No. 31, 36, 37 clubbed with Calling Attention Notice No. 5 (Adjournment Motion No. 1 converted into Calling Attention Notice No. 36 & Adjournment Motion No. 2 converted into Calling Attention Notice No. 37)]

Shri Balraj Kundu, MLA
Smt. Kiran Choudhry, MLA
Shri Shamsher Singh Gogi, MLA
Shri Bharat Bhushan Batra, MLA
Shri Aftab Ahmed, MLA
Rao Dan Singh, MLA
Smt. Geeta Bhukkal, MLA
Shri Varun Chaudhary, MLA
Shri Amit Sihag, MLA

Shri Jagbir Singh Malik, MLA - to call the attention of the Chief Minister regarding to cancel the exam of police constable conducted by Haryana Staff Selection Commission on 7th August, 2021 due to leak of question paper and answer key.

- (ii) Calling Attention Notice No.18 (Calling Attention Notice No. 21 clubbed with Calling Attention Notice No.18)

Shri Bharat Bhushan Batra, MLA
Smt. Geeta Bhukkal, MLA
Shri Varun Chaudhary, MLA
Shri Bishan Lal, MLA
Shri Amit Sihag, MLA

Shri Aftab Ahmed, MLA - to call the attention of the Minister of Education/Health regarding the drawbacks of policy of online transfer on State Universities as well as on Central University of Haryana.

VI. PAPER TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

CHIEF MINISTER to lay on the Table the Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs) for the year 2016-2017 of the Government of Haryana, in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

VII. LEGISLATIVE BUSINESS.

(i) (Bill for introduction, consideration and passing)

The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2021 A MINISTER to move for leave to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill;
Also to introduce the Bill.
to move that the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once;
Also to move that the Bill be passed.

(ii) (Bills for consideration and passing)

1. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Bill, 2021 A MINISTER to move that the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once;
Also to move that the Bill be passed.
2. The Panchkula Metropolitan Development Authority Bill, 2021 A MINISTER to move that the Panchkula Metropolitan Development Authority Bill be taken into consideration at once;
Also to move that the Bill be passed.
3. The Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill, 2021 A MINISTER to move that the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once;
Also to move that the Bill be passed.
4. The Haryana Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2021 A MINISTER to move that the Haryana Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill be taken into consideration at once;
Also to move that the Bill be passed.
5. The Haryana Parivar Pehchan Bill, 2021 A MINISTER to move that the Haryana Parivar Pehchan Bill be taken into consideration at once;
Also to move that the Bill be passed.

**CHANDIGARH:
THE 23RD AUGUST, 2021.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.**

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 24 अगस्त, 2021 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची ।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मर्दों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

III. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

IV. शून्य काल

V. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना

(i) ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-5 [ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-31, 36, 37 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-5 के साथ क्लब कर दी गई (स्थगन प्रस्ताव संख्या- 1 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-36 में परिवर्तित किया गया और स्थगन प्रस्ताव संख्या-2 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-37 में परिवर्तित किया गया)]

श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए.

श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए.

श्री शमशेर सिंह गोगी, एम.एल.ए.

श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.

श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.

राव दान सिंह, एम.एल.ए.

श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.

श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.

श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए.

श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए.- प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी लीक होने के कारण 7 अगस्त, 2021 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई पुलिस सिपाही की परीक्षा के रद्द करने से संबंधित मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण करने के लिए।

(ii) ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-18 (ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-21 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-18 के साथ क्लब कर दी गई)।

श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.

श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.

श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.

श्री बिशन लाल, एम.एल.ए.

श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए.

श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.— राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही साथ हरियाणा के केन्द्रीय विश्वविद्यालय पर ऑनलाइन स्थानांतरण की नीति की कमियों से संबंधित शिक्षा/स्वास्थ्य मंत्री का ध्यानाकर्षण करने के लिए।

VI. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र

मुख्यमंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2016-2017 के लिए हरियाणा सरकार के पंचायती राज संस्थानों (पी आर आई एस) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी एस) पर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

VII. विधायी कार्य

(i) (प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2021	एक मंत्री	हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;
---	-----------	---

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
---	-----------	--

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

2. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021.	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
---	-----------	---

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

3. हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021.	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
--	-----------	--

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

4. हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021.	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
---	-----------	---

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

5. हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
--------------------------------------	-----------	---

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।